



Neutral Citation No. - 2026:AHC:60138-DB

दिनांक 16.03.2026 को सुरक्षित

दिनांक 24.03.2026 को पारित

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 1006 वर्ष 2026

राजेश कुमार

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

30प्र0 राज्य एवं 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) की ओर से अधिवक्ता : प्रवीण कुमार सिंह

प्रत्यर्थी(गण) की ओर से अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या 1

माननीय न्यायमूर्ति अजीत कुमार

माननीय न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी

(न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी द्वारा पारित)

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रवीण कुमार सिंह और राज्य प्रत्यर्थीगण के विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता को सुना।
2. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता जिला मजिस्ट्रेट, प्रयागराज द्वारा पारित दिनांक 22.04.2022 के सामान्य आदेश को चुनौती देता है, जिसके तहत 'मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटान कल्याण योजना' के तहत कई मृत व्यक्तियों से संबंधित

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



दावों का निर्णय लिया गया था, हालांकि, याचिकाकर्ता केवल इस हद तक व्यथित था कि पत्नी की मृत्यु से उत्पन्न होने वाले उसके दावे, श्रीमती मनीषा देवी को अस्वीकार कर दिया गया था। यह अस्वीकृति प्रयागराज के जिला मजिस्ट्रेट (भूमि रिकॉर्ड प्रतिष्ठान) के कार्यालय की रिपोर्ट पर आधारित थी, जिसमें कहा गया था कि मृतक न तो कृषि आय पर निर्भर थी और न ही अपने परिवार की किसी भी कृषि गतिविधि या किसी अन्य कृषि भूमि पर लिप्त पाई गई थी।

3. संक्षिप्त तथ्य यह थे कि याचिकाकर्ता की पत्नी, श्रीमती मनीषा देवी, अपने रिश्तेदार के घर से लौटते समय, 25.08.2020 को सुबह लगभग 8:20 बजे एक घातक दुर्घटना का शिकार हो गईं, जब वह अमिलिया कला गांव में एक सड़क और रेलवे ट्रैक पार करते समय एक ट्रेन से टकरा गईं, जिसके परिणामस्वरूप उनकी मौके पर ही मौत हो गई। उसके शव का उसी दिन यानी 25.08.2020 को स्वरूपरानी अस्पताल, प्रयागराज में चिकित्सा अधिकारी डॉ. राजेश कुमार द्वारा पोस्टमॉर्टम किया गया। इसके बाद याचिकाकर्ता ने 20.10.2020 को एसडीएम, मेजा, प्रयागराज के समक्ष 'मुख्यमंत्री कृषक विकास कल्याण योजना' के तहत निर्धारित प्रारूप में एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें मुआवजे की मांग की गई।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि लेखपाल द्वारा एक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, जिसे उचित जांच या मौके के निरीक्षण के बिना तैयार किया गया था। उन्होंने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता के दावे को बहुत ही आकस्मिक तरीके से खारिज कर दिया गया था क्योंकि दिनांक 03.08.2021 की रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट, प्रयागराज के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, जिसमें कहा गया था कि मृतक और उसका पति कृषक या किरायेदार नहीं थे, इसलिए, याचिकाकर्ता मुआवजे का हकदार नहीं था। रिपोर्ट में इस निष्कर्ष पर पहुंचने का कोई आधार नहीं दिया गया कि याचिकाकर्ता और मृतक कृषि आय पर निर्भर नहीं थे।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि भूमि याचिकाकर्ता के पिता के नाम पर दर्ज की गई थी, अर्थात् जोखान के पुत्र लोरिक, जो प्रयागराज जिले के तहसील मेजा गांव में स्थित गाटा संख्या 403 क्षेत्र 0.2230 और गाटा संख्या 00032 के रिकॉर्ड किए गए कार्यकाल धारक थे। याचिकाकर्ता और उसकी पत्नी उक्त भूमि पर पूर्णकालिक कृषि कार्य में लगे हुए थे। आगे यह कहा गया कि याचिकाकर्ता के पिता बहुत बूढ़े और शारीरिक रूप से लकवाग्रस्त थे और कृषि गतिविधियों को करने में असमर्थ थे। इसलिए, याचिकाकर्ता और उसकी पत्नी भूमि पर खेती करने और परिवार का भरण-पोषण करने वाले वास्तविक व्यक्ति थे। उन्होंने परिवार रजिस्टर में



प्रविष्टि पर भरोसा किया, जहां याचिकाकर्ता के व्यवसाय को स्पष्ट रूप से खेती के रूप में बताया गया था और याचिकाकर्ता की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी के रूप में मृतक का नाम भी दर्ज किया गया था, जिसमें उसके पति के समान व्यवसाय का संकेत दिया गया था। यह भी कहा गया कि याचिकाकर्ता एक गरीब परिवार से था, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करता था, और कृषि उसके परिवार के लिए आजीविका का मुख्य स्रोत था।

6. यह भी तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता को 22.04.2022 को उसके दावे की अस्वीकृति के बारे में कभी सूचित नहीं किया गया था, इसलिए उसने 21.06.2025 को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत एक आवेदन दायर किया, और उसके बाद 30.09.2025 को उसके दावे को अस्वीकार करने के संबंध में जानकारी प्राप्त की। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि दावे की अस्वीकृति मनमाना था और 'मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना' के तहत जारी 28.02.2020 के शासकीय आदेश के विपरीत था। यह प्रस्तुत किया गया था कि उक्त शासकीय आदेश के पैराग्राफ 2 (2) और पैरा (5) के तहत "किसान" की परिभाषा व्यापक है और इसमें न केवल कार्यकाल धारक बल्कि परिवार के कमाने वाले सदस्य भी शामिल हैं, जिनकी आजीविका का मुख्य स्रोत पट्टा धारक के नाम पर दर्ज भूमि से कृषि है।

7. 'मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना' योजना के तहत लाभ प्रदान करने के लिए दिशा-निर्देशों के निर्धारण के लिए दिनांक 28.02.2020 के शासकीय आदेश के प्रासंगिक पैराग्राफ आसान संदर्भ के लिए नीचे दिए गए हैं:

2. पात्रता (किसान की परिभाषा): यह योजना उत्तर प्रदेश में निवास करने वाले उन किसानों के लिए है, जो आकस्मिक मृत्यु या दिव्यांगता का शिकार होते हैं। किसान की परिभाषा निम्नानुसार है:

(1) ...

(2) खाताधारक/सह-खाताधारक के परिवार के वे अर्जनशील सदस्य, जिनकी आजीविका का मुख्य स्रोत खाताधारक/सह-खाताधारक के नाम पर पंजीकृत भूमि से प्राप्त कृषि आय है।

...

5. योजना का कवरेज: (1) यदि कोई किसान आग, बाढ़, आकाशीय बिजली, विद्युत करंट, सर्पदंश, पशु/जीव-जन्तु द्वारा आक्रमण/चोट, समुद्र, नदी, झील, तालाब या कुएँ में डूबने, तूफान, पेड़ से गिरने या दबने, मकान ढहने, रेल/सड़क/विमान/अन्य वाहनों से संबंधित

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



दुर्घटना, भूस्खलन, भूकंप, गैस रिसाव, विस्फोट, सीवर चेंबर में गिरने या किसी अन्य कारण से आकस्मिक मृत्यु/दिव्यांगता का शिकार होता है, तो इस योजना के अंतर्गत किसान/वैध उत्तराधिकारीगण को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

8. यह भी प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता और उसकी मृत पत्नी परिवार के कमाने वाले थे और पैतृक भूमि पर की जाने वाली कृषि गतिविधियों पर पूरी तरह से निर्भर थे। केवल यह तथ्य कि भूमि याचिकाकर्ता के पिता के नाम पर दर्ज की गई थी, याचिकाकर्ता को योजना के लाभ से वंचित नहीं कर सकता था। विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया है कि राज्य के अधिकारियों ने योजना की गलत व्याख्या की थी और अवैध रूप से इसके लाभ को केवल रिकॉर्ड किए गए कार्यकाल धारकों तक सीमित कर दिया था और याचिकाकर्ता के दावे को खारिज कर दिया था।

9. इस योजना पर भरोसा किया गया था, जिसमें स्पष्ट रूप से संकेत दिया गया था कि कृषि कार्य पर निर्भर व्यक्तियों को भी कवर किया गया था, यदि भूमि परिवार के बड़े सदस्य के नाम पर दर्ज की गई है। अपने तर्कों को पुष्ट करने के लिए, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने गायत्री देवी बनाम इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया। उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, 2025 एससीसी ऑनलाइन सभी 8086। उपर्युक्त निर्णय के प्रासंगिक पैराग्राफ इस प्रकार हैं:

"17. दिनांक 28.02.2020 के शासकीय आदेश के अवलोकन से, यह स्पष्ट है कि "मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना" का उद्देश्य दुर्घटनाओं में मरने वाले किसानों के आश्रितों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना में यह अनिवार्य नहीं किया गया है कि कृषि भूमि को केवल मृत किसान के नाम पर दर्ज किया जाना चाहिए। इस बात की जांच करने की आवश्यकता है कि क्या मृतक मुख्य रूप से कृषि कार्य में लगा हुआ था और क्या कृषि उसके और उसके परिवार के लिए आजीविका का मुख्य स्रोत था। ग्रामीण सेट-अप में, यह एक आम प्रथा है कि भूमि परिवार के बड़े सदस्य के नाम पर दर्ज रहती है, जबकि परिवार के अन्य सदस्य संयुक्त रूप से कृषि गतिविधियों को करते हैं।

...

21. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांत को लागू करते हुए कि लाभकारी और कल्याणकारी योजनाओं को एक उदार और उद्देश्यपूर्ण व्याख्या प्राप्त होनी चाहिए ताकि उनके उद्देश्य को आगे बढ़ाया जा सके और तकनीकी आधार

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पर इसे पराजित नहीं किया जा सके, याचिकाकर्ता के दावे को आकस्मिक तरीके से खारिज नहीं किया जा सकता था क्योंकि दिशानिर्देशों के एक नंगे अवलोकन से, यह स्पष्ट है कि इस योजना का उद्देश्य उन व्यक्तियों और परिवारों की रक्षा करना है जो कृषि गतिविधियों में लगे हुए हैं और कृषि को अपनी आजीविका का मुख्य स्रोत माना जाता है। वर्तमान प्रकरण के तथ्यों में, जमीन खतौनी में मृतक के दादा के नाम पर दर्ज है, और यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं है कि मृतक, उसके पिता या उसकी पत्नी के पास आय का कोई अन्य स्रोत था। परिवार अपने अस्तित्व के लिए खेती पर निर्भर था, विशेष रूप से याचिकाकर्ता द्वारा इस जवाब में की गई प्रस्तुति को देखते हुए कि वर्ष 2011 में ट्रैक्टर खरीदते समय मृतक द्वारा उसी भूमि को बैंक ऑफ इंडिया के पास गिरवी रखा गया था। याचिकाकर्ता के दावे को लापरवाही से खारिज करने के बजाय अधिकारियों द्वारा इस तथ्य की ठीक से जांच की जानी चाहिए थी।

10. दूसरी ओर, राज्य प्रत्यर्थीगण की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता ने अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर तर्क दिया कि याचिकाकर्ता और मृतक कृषि आय पर निर्भर नहीं थे, इसलिए, अधिकारियों ने योजना के तहत याचिकाकर्ता के दावे को खारिज करना उचित था। यह भी प्रस्तुत किया गया कि सक्षम प्राधिकारी ने रिकॉर्ड पर सामग्री पर विचार किया था और याचिकाकर्ता के दावे को सही ढंग से खारिज कर दिया था। निर्णय किसी भी अवैधता से ग्रस्त नहीं था और इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी।

11. मुख्य मुद्दा जो विचार के लिए उठता है वह यह है कि क्या 'मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटान कल्याण योजना' के तहत मुआवजे के लिए याचिकाकर्ता के दावे को इस आधार पर खारिज कर दिया गया है कि मृतक न तो कृषि गतिविधियों में लगा हुआ था और न ही कृषि आय पर निर्भर था, योजना को नियंत्रित करने वाले शासकीय आदेश और रिकॉर्ड पर रखे गए तथ्यों के आलोक में कानूनी रूप से पोषणीय है।

12. इस न्यायालय ने प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार किया है और रिकॉर्ड की जांच की है। 'मुख्यमंत्री कृषक विकास कल्याण योजना' नामक योजना एक लाभकारी कल्याणकारी योजना है जिसका उद्देश्य दुर्घटना में मृत्यु के प्रकरण में कृषि पर निर्भर परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान



करना है। ऐसी योजनाओं की उदारतापूर्वक व्याख्या की जानी चाहिए न कि प्रतिबंधात्मक तरीके से।

13. दिनांक 28.02.2020 के शासकीय आदेश से, यह स्पष्ट है कि "किसान" की परिभाषा केवल रिकॉर्ड किए गए कार्यकाल धारकों तक ही सीमित नहीं है और इसे इस तरह से लिखा गया है कि यह कृषि आय के आधार पर सभी को कवर कर सकता है। इसमें विशेष रूप से परिवार के कमाऊ सदस्य शामिल हैं, जिनकी आजीविका का मुख्य स्रोत कार्यकाल धारक के नाम पर दर्ज भूमि से कृषि आय है और लेखपाल की रिपोर्ट के साथ-साथ आक्षेपित आदेश में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि याचिकाकर्ता या मृतक के पास कृषि कार्य के अलावा आय का कोई अन्य स्रोत है, जो स्पष्ट रूप से परिवार रजिस्टर में उनके व्यवसाय के रूप में दर्ज है।

14. वर्तमान प्रकरण में, यह विवादित नहीं है कि भूमि याचिकाकर्ता के पिता के नाम पर दर्ज है। इस बात पर भी विवाद नहीं था कि याचिकाकर्ता के पिता बहुत बूढ़े थे। याचिकाकर्ता का लगातार रुख यह है कि वह और उसकी मृत पत्नी उक्त भूमि पर कृषि कार्य में लगे हुए थे और परिवार का भरण-पोषण कर रहे थे। बिना किसी सबूत के केवल बयान के आधार पर दावे की अस्वीकृति कि याचिकाकर्ता और मृतक कृषि आय पर निर्भर नहीं थे, कानून में कायम नहीं रखा जा सकता है।

15. हमारा विचार है कि अधिकारी कृषि पर वास्तविक निर्भरता और परिवार की तथ्यात्मक स्थिति पर विचार करने में विफल रहे हैं। इसके अलावा, इस आरोप का प्रभावी ढंग से खंडन नहीं किया गया है कि जांच उचित निरीक्षण के बिना की गई थी। इसलिए, हमारा विचार है कि इसमें शामिल मुद्दा गायत्री देवी (पूर्वोक्त) के प्रकरण में दिए गए निर्णय द्वारा पूरी तरह से कवर किया गया है।

16. इस न्यायालय ने **किशोरी लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, 2026 एससीसी ऑनलाइन इलाहाबाद 546** में अपने मत का समर्थन माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **महेन्द्र प्रसाद अग्रवाल बनाम अरविंद कुमार सिंह, एस.एल.पी. (सिविल) सं.-1714/2025** में दिनांक 10.02.2026 को पारित निर्णय के आधार पर किया है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नवत् अवलोकित किया गया:

"13. अब तक हमने जो तथ्य सुनाए हैं, वे एक दुखद प्रतिबिंब को प्रकट करते हैं, हमारे कानूनों का नहीं, बल्कि जिस तरह से हम अपने कानूनों का अभ्यास करते हैं और अपने

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!



न्यायिक उपचार करते हैं। हमें उपदेश देने की गलती नहीं है, क्योंकि इस तरह के एपिसोडिक निपटान को सुप्रीम कोर्ट के अभ्यास में भी शामिल किया जा सकता है। हमारा प्रयास यह सुनिश्चित करना है कि हम इस पर ध्यान दें और पाठ्यक्रम सुधार को अपनाएं।

14. इस तथ्य के बारे में कोई संदेह नहीं है कि "न्यायशास्त्र पर विचार करें", इसलिए इन दिनों नियमित रूप से अपनाया जाता है और यदि हम अभिव्यक्ति का उपयोग कर सकते हैं - गेंद को कोर्ट से बाहर फेंकने के लिए, प्रतिकूल है और सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है।

15. जब किसी अधिकार का दावा कानूनी और उचित होता है, तो राहत का पालन करना चाहिए। संवैधानिक या सांविधिक उपाय अकादमिक प्रवचन के लिए अभिप्रेत नहीं हैं। यदि कोई मामला राहत का हकदार है, तो जरूरत पड़ने पर उसे बिना किसी हिचकिचाहट के वहां दिया जाना चाहिए। इक्विटी के संतुलन को राहत से बचने या स्थगित करने के साथ क्षमति नहीं होना चाहिए। ये कानून के प्रकरण नहीं हैं, बल्कि इसके कामकाज और व्यवहार के प्रकरण हैं। कानून और इसकी प्रक्रियाओं के विपरीत, समय के साथ विकसित होने वाली अच्छी प्रथाएं लिखित कानूनों की तुलना में कहीं अधिक मूल्यवान हैं, क्योंकि यह इस अभ्यास में है कि हम कानून की भावना की स्वीकृति और आंतरिककरण देखते हैं। अच्छी प्रथाओं को पहचानना, पोषित करना और विकसित करना आवश्यक है जो आदतें बन जाती हैं। ये आदतें साझा विश्वास, मूल्यों और दृष्टिकोणों से आती हैं जो कानून के शासन में जीवन शक्ति को सांस लेते हैं। कानूनी संस्कृति सामूहिक विश्वासों को एकीकृत करती है, आदतों को बढ़ावा देती है। यह आवश्यक है और वास्तव में हमारे उपचार को सरल, प्रभावी और कुशल रखने के लिए बाध्यकारी है।

17. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिका स्वीकृत की जाती है। जिला मजिस्ट्रेट, प्रयागराज को निर्देश दिया जाता है कि याचिकाकर्ता की मृत पत्नी की असामयिक मृत्यु के लिए याचिकाकर्ता को योजना का लाभ प्रदान किया जाए। जिला मजिस्ट्रेट, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तारीख से छह सप्ताह की अवधि के भीतर आदेश पारित करेगा। लागत के सम्बन्ध में कोई आदेश नहीं।

(न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी) (न्यायमूर्ति अजीत कुमार)

24 मार्च, 2026

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



#विक्रम/-

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!